न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान

कंचनबाई बनाम मोहनलाल

किस्म मुकदमा धारा - 225 मि.नं. 2023/36 सन

अभिभाषक अपीलान्ट श्री अरुण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05-09-23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित। अपीलांट व अभिभाषक अपीलांट को रुक - रुक कर तीन बार आवाजें लगवाई गई। फिर भी अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा रेस्पो० R-1 लं० 6 को नोटिस सम्मन जरिये रजि० ए० डी० आदिनांक तक नहीं करवाई गई है। पत्रावली में अपीलांट व अभिभाषक अपीलांट द्वारा उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा — सत्यमेव जयते)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन आर ए ए साहब , कोटा

कंचन बाई पत्नी पूरी लाल जाति मीणा निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान

—— अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी थरोल तहसील अकलेरा जिला झालावाड
2. गोविन्दलाल पुत्र छप्पन लाल जाति मीणा निवासी बर्माखेडी तहसील छीपाबडौद
3. जगमोहन पुत्र छप्पन लाल जाति मीणा निवासी बर्माखेडी तहसील छीपाबडौद
4. बसन्ती बाई पुत्री छप्पनलाल पुत्री ओम प्रकाश जाति मीणा निवासी केसर कॉलोनी अकलेरा तहसील अकलेरा
5. रूकमणी बाई पत्नी ओम प्रकाश जाति मीणा निवासी कटफली रामपुरिया तहसील अकलेरा जिला झालावाड
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अकलेरा जिला झालावाड

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.02.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, अकलेरा

अन्तर्गत धारा 225 दी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

प्रकरण संख्या 02/प्रार्थना पत्र/22

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्न कारणो से यह अपील सादर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट (प्रार्थीनी) के पक्ष में एक तरफा अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.01.2022 को जारी करदी थी उसे अपने अधिकारो से परे जाकर प्रार्थना पत्र अपने अधिकारो से परे जाकर खारिज करके कानूनी भूल की है।